

(61)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| वर्गीकरण भूमि ग्राम | दिनांक 29.7.13से प्रभावित दर | | दिनांक 20/2/15 से लागू वर्तमान दर | | छीपाबडौद एवं N-H- 90 से गुजरने वाले एवं विभिन्न लिंग रोड से लगी कृषि भूमि की दर दिनांक 29.7.13 से प्रभावित दर | | छीपाबडौद एवं N-H- 90 से गुजरने वाले एवं विभिन्न लिंग रोड से लगी कृषि भूमि की दर दिनांक 20/2/15 से लागू दर | |
| | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित |

N.H. 90 के अतिरिक्त अन्य (अ) ग्रुप के नाम

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|
| हरनावदाशाहजी, बमोरी, बढाय, बिलेण्डी, सुखनेरी कचनारियाकलां, बंजारी, दीगोदजागीर | 92000 | 62000 | 106000 | 72000 | 140000 | 98000 | 161000 | 133000 ✓ |
|--|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|

ग्रुप (ब)

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| अमरपुरा, अमलावदाखरण, उमरिया, बोरदा बेजाजपुर, बृहमाखेडी, भावपुरा, श्रीपुरा, धामनिया कोलूखेडा, कुम्माखेडी, कण्डारी, दोबडा, हलेसरा, पथरी, पीपल्याअखेराज, सैकुड, पीपलखेडी- 1। लक्ष्मीपुरा, सहजनपुर, सुरजपुराखुर्द, सुरजपुरामाल झनझनी. खडिया, देवरीभान, देहलनपुर, मोतीपुराकलां मालोनी | 80000 | 54000 | 92000 | 62000 | 122500 | 83500 | 141000 | 96000 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|

अनुमोदित

जिला कलेक्टर, बारां
जिला बारां (राज०)

उप-पंजीयक
हरनावदा शाहजी
जिला-बारां (राज०)

कार्यालय उप पंजीयक हरनावदाशाहजी जिला बारों (राज.)
 जिला स्तरीय बाजार दर निर्धारित कमेटी द्वारा कृषि भूमि/गैर कृषि भूमि की प्रस्तावित बाजार दरें
 कृषि भूमि की दर बीघा में तहसील क्षेत्र छीपाबडौद

परिशिष्ट - के

| क्र.सं. | वर्गीकरण | दिनांक 29.7.13 से | | दिनांक से 20/2/15 | | N-H- 90 सडक सीमा से लगी 100 मीटर तक की दर कृषि भूमि का तीन गुना दिनांक 29.7.13 से प्रभावित दर | | N-H- 90 सडक सीमा से लगी 100 मीटर तक की दर कृषि भूमि का तीन गुना दिनांक 20/2/15 से लागू वर्तमान दर | | N-H- 90 सडक सीमा से लगी 101 से 200 मीटर तक की दर कृषि भूमि का दो गुना दिनांक 29.7.13 से प्रभावित दर | | N-H- 90 सडक सीमा से लगी 101 से 200 मीटर तक की दर कृषि भूमि का दो गुना दिनांक 20/2/15 से लागू वर्तमान दर | | N-H- 90 सडक सीमा से गुजरने वाले एवं विभिन्न ग्रामीण लिंक रोड से लगी कृषि भूमि की दर दिनांक 29.7.13 से प्रभावित दर | | N-H- 90 सडक सीमा से गुजरने वाले एवं विभिन्न ग्रामीण लिंक रोड से लगी कृषि भूमि की दर दिनांक 20/2/15 से लागू वर्तमान दर | |
|---------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | प्रभावित दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर | प्रभावित वर्तमान दर |
| | | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित |

ग्रुप (अ)

| क्र.सं. | वर्गीकरण | 100000 | 62000 | 115000 | 71300 | 300000 | 186000 | 345000 | 214000 | 200000 | 124000 | 230000 | 142600 | 153000 | 92000 | 176000 | 106000 |
|---------|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2. | लम्बावर, सारथल, बावड, कलमोदिया, खेडीजागीर, कालाटोल | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुमोदित
 जिला कलक्टर, बारों
 जिला बारों (राज०)

उप पंजीयक
 हरनावदा शाहजी
 जिला-बारों (राज०)

79

63

कार्यालय तहसीलदार हरनावदाशाहजी जिला बारां (राज.)

तहसील छीपाबडौद में कृषि एवं आबादी भूमि में आवासीय एवं वाणिज्यक भूमि की प्रस्तावित दर प्रति वर्गफुट

| क्र.सं. | नाम व ग्राम व ग्रुप | आवासीय | | | | वाणिज्यक | | | |
|---------|---------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|-----|
| | | 29.7.13 से | | दि. 20/2/15 से | | दिनांक 29.7.13 से | | 20/2/15 से | |
| | | प्रभावित दर | | प्रभावी वर्तमान दर | | प्रभावित दर | | प्रभावी वर्तमान दर | |
| | रोड के पास | रोड से दूर | रोड के पास | रोड से दूर | रोड के पास | रोड से दूर | रोड के पास | रोड से दूर | |
| 7 | ग्राम हरनावदाशाहजी | 310 | 280 | 360 | 325 | 770 | 620 | 900 | 715 |
| 8 | ग्राम सारथल | 160 | 90 | 185 | 105 | 620 | 550 | 715 | 635 |
| 9 | अन्य ग्रामो की दरे | 60 | 45 | 70 | 55 | 70 | 60 | 80 | 70 |

अनुमोदित

जिला कलेक्टर, बारां
जिला बारां (राज०)

उप-पंजीयक
हरनावदा शाहजी
जिला बारां (राज०)

| वर्गीकरण भूमि ग्राम | दिनांक 29.7.13 से प्रभावित दर | | दिनांक 20/2/15 से लागू वर्तमान दर | | छीपाबडौद एवं N-H- 90 से गुजरने वाले एवं विभिन्न लिंग रोड से ज़मी कृषि भूमि की दर दिनांक 29.7.13 से प्रभावित दर | | छीपाबडौद एवं N-H- 90 से गुजरने वाले एवं विभिन्न लिंग रोड से ज़मी कृषि भूमि की दर दिनांक 20/2/15 से लागू दर | |
|---------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--|---------|--|---------|
| | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित | सिंचित | असिंचित |

गुप (स)

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| अचलपुरा, अमृतखेडी, आसलपुर, बिसलाई, बामणखोह डबरी, बिलखेडा, भटगांव, भवानीपुरा, पाटडी कचनारियाखुर्द, कोटडी, करनीजागीर, कोटडाखाण्डेराव, टाण्डी, नारेडा, मसालपुर मदनपुरा, मण्डोला, मानपुरा, सुरडीबह, चैनपुरिया फूटीबडौद, खरण, प्रहलादपुरा, फतेहपुर, हिण्डोला खैरखजूरिया , टाकूडा, रामनगर, गुराडी, रामगढ बोरखेडी, देवरीमूण्ड, रंवासिया | 65000 | 46000 | 75000 | 53000 | 95000 | 70000 | 110000 | 81000 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|

नोट:-

1. दर चाह (कुओं) 170000 /-रूपये, एवं नलकूप (ट्यूबवैल) 250000 /-रूपये
2. प्लिन्थ तक (दासा लेवल तक) के निर्माण को 10 प्रतिशत निर्माण मानते हुये 60 रु. प्रतिवर्ग फिट से मूल्यांकन किया जावेगा।
3. मुख्य सडक पर स्थित मकान/प्लाट के 30 फुट (फ्रन्ट में) व्यवसायिक दर से मूल्यांकन पूर्व में ही इस तहसील में किया जा रहा है।
4. संस्थागत प्रयोजन के लिये कृषि भूमि क्रय करने पर दरे उस क्षेत्र की समिपस्थ आवासीय दर की (डेढ गुना) 1.5 गुना होगी।
5. उप पंजीयक क्षेत्र छीपाबडौद में खनन क्षेत्र घोषित नहीं होने से दरे प्रस्तावित नहीं की गई है।
6. औद्योगिक प्रयोजन के लिये दरे रिको की दरो से कम नहीं होगी पूर्व से ही औद्योगिक क्षेत्र की दर है अतः पूर्वानुसार औद्योगिक दरें 880 रु. प्रति वर्गमीटर रखा जाना प्रस्तावित है।
7. कम्पनी या भागीदारी फर्म द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिये क्रय की गई कृषि भूमि को गेर कृषि प्रयोजन के रूप में माना जावेगा तथा प्रयातन के स्पष्ट नहीं होने पर उक्त भूमि की दरे संस्थागत भूमि की दरो के समान अर्थात उस क्षेत्र की आवासीय दर की (डेढ गुना) होगी।

उपपंजीयक
हरहरनावदा शाहजी
जिला-बारा (राज०)

अनुमोदित

जिला कलक्टर, बारा
जिला बारा (राज०)